न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :241/2016

वादीगण–

1. सन्तोष तिवाड़ी पत्नी शिवराज तिवाड़ी , जाति–ब्राहम्ण निवासी–भैरूजी की गली रोड़ रोल, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. डूंगरमल पुत्र धनराज
2. रामेश्वर पुत्र जगदीश
3. मनोज पुत्र जगदीश
4. महावीर पुत्र जगदीश
5. शांति पत्नी जगदीश
6. पुनमचंद पुत्र नारायण
7. भंवरलाल पुत्र जयकिशन
8. कमला देवी पत्नी गोपकिशन
9. दाखा पत्नी मांगीलाल **फौत**
10. संतोष पत्नी राजेन्द्र जातियान ब्राहम्ण निवासीगण रोल तहसील जायल प्रतिवादी संख्या 9 के कायम मुकामात।
11. धापू देवी पत्नी ओमप्रकाश नाई निवासी रोल तहसील जायल।
12. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री दशरशसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 11 की ओर से।
3. श्री ईस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 6 से 8 व 12 तथा 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 07/06/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीनी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 547 रकबा 7.07 बीघा, खसरा नंबर 631/1754 रकबा 3.11 बीघा, खसरा नंबर 1278 रकबा 3.03 बीघा, खसरा नंबर 1464 रकबा 4.09 बीघा कुल रकबा 18.10 बीघा में से वादीनी ने दिनांक 01.03.2011 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेचान द्वारा खातेदारान् रतनलाल, बंशीलाल, शिवराज, गिरधारीलाल, आशा, निलेश, कलावती, विमला देवी, गोपाल, बाबुलाल, कौशल्या देवी के आम मुख्यत्यार शिवराज तिवाड़ी पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर से जरिये

07/06/2022
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा उक्त खेताय में से बैचानकर्ताओं का संभावित हिस्सा 1/4 हिस्सा खरीदकर कब्जा भूमि प्राप्त किया। वादीनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके समझौता अनुसार पिछले 4–5 वर्षो से खेताय पर अलग–अलग काश्त करने लगे है वादिनी के बंट में खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा कब्जा काश्त में रहते हुए दिगर खेताय प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के हक बंट में रखे गये। वादीनी के खरीदे गये रकबे की खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं होने से तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर रोल के खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा वादीनी को खातेदार घोषित करते हुवे डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 से 8 व 12 के सम्मन पर्याप्त सुदा तामिल होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 6 से 8 व 12 या इनके प्रतिवादीगण अधिवक्ता के न्यायालय हाजा में गैर हाजिर रहे, बार–बार आवाजे लगाई गई अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन ऐडी रजिस्ट्री से भिजवाये जा चुके है जो आदिनांक तक अप्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 ने दिनांक 11.02.2017 राजीनामा जरिये अधिवक्ता चन्द्राराम बिडियासर व प्रतिवादी संख्या 10 ने 10.02.2017 को ईकबाली जबाब व प्रतिवादी संख्या 11 ने दिनांक 05.12.2016 को ईकबाली जबाब जरिये अधिवक्ता ईस्लामुदीन काजी ने पेश किया। जो पत्रावली में शामिल मिसल किये गये। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर अप्राप्त है जो राजपेरोकार के रूप में, वाद में केवल परफोर्मा पक्षकार है। वकील वादी ने दिनांक 20.12.2021 को आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी के जरिये प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 9 दाखा पत्नी मांगीलाल फौत हो चुकी है तथा इसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 एक मात्र संतोष है जिसको पूर्व में ही प्रतिवादी पक्षकार बनाया जा चुका है। आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 9 का नाम हटाया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 व 10, 11 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा व ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 1, 6 से 8 व 11 के गैर हाजिर रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 12 भी गैर हाजिर रहे जिनके विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सन्तोष पत्नी शिवराज, धापु देवी पत्नी ओमप्रकाश नाई पेश हुवे। नकल जमाबन्दी ग्राम रोल तहसील–जायल सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 247 पेश हुवे। कार्यालय उप पंजीयक डेह द्वारा दिनांक 01.03.2011 के पंजीकृत क्रयनामें के दस्तावेज जो वादीनी सन्तोष तिवाड़ी ने खातेदारान् रतनलाल, वंशीलाल, शिवराज, गिरधारीलाल, आशा, निलेश, कलावती, विमला देवी, गोपाल, बाबुलाल, कौशल्या देवी के आम मुख्यत्यार शिवराज तिवाड़ी पुत्र दुर्गाप्रसाद

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल

जाति ब्रहाम्ण निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति, दिनांक 17.01.2011 की पावर ऑफ एटॉनी भी पत्रावली संलग्न है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 10, 11 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा व ईकबाली जबाब को वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 , 6 से 8 व 12 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 9 के फौत होने से इनका नाम वाद पत्र से हटाया जा चुका है तथा इनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 को पूर्व में प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर रेकर्ड पर लिया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा व ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण 2 से 5 व 10, 11 ने अपने हक हिस्से की भूमि वादीनी सन्तोष तिवाडी को किये गये 4.09 बीघा भूमि के बेचान की खातेदारी घोषणा हक बंट को जरिये राजीनामा आपसी सहमति से स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा व ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा व ईकबाली जबाब दिनांक 05.11.2016 व 10.02.2017 व 11.02.2017 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली में वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 11 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4, 5, 10 द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 8 व 1, 12 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही पर अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 11 के द्वारा जरिये राजीनामा में ग्राम रोल के खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 4.09 बीघा भूमि वादीनी संतोष के हक बंट में घोषित किये जाने में अनापति जाहिर की है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 ,4, 5, 10 द्वारा प्रस्तुत जबाब के पैरा संख्या 7 में ग्राम रोल के खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 4.09 बीघा भूमि वादीनी संतोष के हक बंट में घोषित किये जाने में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। शेष प्रतिवादी संख्या 1,6 से 8 व 12 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 9 जो कि फौत होने पर उसके एक मात्र विधिक वारिसान् जो कि प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में पूर्व से ही प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित है जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत जबाब दिनांक 10.02.2018 के पैरा संख्या 7 के अनुसार ग्राम रोल के खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 4.09 बीघा भूमि वादीनी संतोष के हक बंट में घोषित किये जाने में अनापति जाहिर की है।

उपयुर्क्त प्रकार से वादीनी प्रस्तुत राजीनामा एवं जबाब काउण्टर क्लेम में ग्राम रोल के खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 4.09 बीघा भूमि वादीनी संतोष के हक बंट में घोषित किये जाने में अनापति जाहिर करना वादी के विनाय दावे को साबित करता है जिसके आधार पर वादीनी अपने हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

हमारी राय में मौजा रोल के वादग्रस्त खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा भूमि वादी द्वारा जरिये पंजीकृत बेचाननामें से खरीदसुदा है तथा वादीनी खरीदसुदा 04.09 बीघा भूमि की खातेदारी अपने हक में घोषणा करवा सकती है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 10, 11 द्वारा किसी प्रकार उजर आपति प्रस्तुत नहीं की है तथा उक्त खातेदारी घोषणा के संबध में अपनी सहमति जाहिर की है। अतः मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा , खेत खसरा नंबर 547 रकबा 7.07 बीघा, खसरा नंबर 631/1754 रकबा 3.11 बीघा, खसरा नंबर 1278 रकबा 3.03 बीघा में वादीनी संतोष को सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीनी के हक बंट कब्जा काश्त में खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा भूमि की घोषण खातेदारी तथा शेष खाता बदस्तुर किया जाना उचित होने से हम वादीनी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा , खेत खसरा नंबर 547 रकबा 7.07 बीघा, खसरा नंबर 631/1754 रकबा 3.11 बीघा, खसरा नंबर 1278 रकबा 3.03 बीघा में वादीनी संतोष को सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीनी के हक बंट कब्जा काश्त में खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा भूमि की घोषणा खातेदारी की जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीनी सन्तोष तिवाड़ी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोल का खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
2. शेष खेताय मौजा रोल के खेत खसरा नंबर खेत खसरा नंबर 547 रकबा 7.07 बीघा, खसरा नंबर 631/1754 रकबा 3.11 बीघा, खसरा नंबर 1278 रकबा 3.03 बीघा की भूमि प्रतिवादीगण 1 से 11 के हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदार के रूप में घोषित किया जाता है।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 07/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

07/06/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :241 / 2016

वादीगण–

1. सन्तोष तिवाड़ी पत्नी शिवराज तिवाड़ी , जाति–ब्राहम्ण निवासी–भैरूजी की गली रोड़ रोल, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. डूंगरमल पुत्र धनराज
2. रामेश्वर पुत्र जगदीश
3. मनोज पुत्र जगदीश
4. महावीर पुत्र जगदीश
5. शांति पत्नी जगदीश
6. पुनमचंद पुत्र नारायण
7. भंवरलाल पुत्र जयकिशन
8. कमला देवी पत्नी गोपकिशन
9. दाखा पत्नी मांगीलाल **फौत**
10. संतोष पत्नी राजेन्द्र जातियान ब्राहम्ण निवासीगण रोल तहसील जायल **प्रतिवादी संख्या 9 के कायम मुकामात।**
11. धापू देवी पत्नी ओमप्रकाश नाई निवासी रोल तहसील जायल।
12. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री दशरशसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 11 की ओर से।
3. श्री ईस्लामुदीन काजी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की ओर से।
4. प्रतिवादी संख्या 6 से 8 व 12 तथा 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री दशरथसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2 से 5 हाजरी श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 10, 11 अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 व 12 पैरोकार के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर हुक्म दिया जाता है कि –

07/06/2022

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोल के खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा , खेत खसरा नंबर 547 रकबा 7.07 बीघा, खसरा नंबर 631/1754 रकबा 3.11 बीघा, खसरा नंबर 1278 रकबा 3.03 बीघा में वादीनी संतोष को सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीनी के हक बंट कब्जा काश्त में खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा भूमि की घोषणा खातेदारी की जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीनी सन्तोष तिवाड़ी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रोल का खेत खसरा नंबर 1464 रकबा 04.09 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।
2. शेष खेताय मौजा रोल के खेत खसरा नंबर खेत खसरा नंबर 547 रकबा 7.07 बीघा, खसरा नंबर 631/1754 रकबा 3.11 बीघा, खसरा नंबर 1278 रकबा 3.03 बीघा की भूमि प्रतिवादीगण 1 से 11 के हक बंट कब्जे काश्त सहखातेदार के रूप में घोषित किया जाता है।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 07/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

07/06/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/06/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

07/06/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)